बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–01/अवैध खनन (वि0)–01/17–...../एम0, पटना, दिनांक–.....

E-mail/Fax
Web

प्रेषक,

अंशुली आर्या,भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी पुलिस अधीक्षक,
बिहार।

विषयः– अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के संबंध में।

प्रसंगः– दिनांक–15.05.2017 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागीय पत्रांक–1306, दिनांक–22.05.2017 के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को अपने–अपने जिलों में अवैध खनन तथा बालू, पत्थरों के ओवरलोडिंग पर प्रभावकारी रोक लगाने हेतु निदेश दिया गया था। इसके साथ ही सभी जिलों में अभियान चलाकर अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था, परन्तु वर्तमान में विभिन्न जिलों इस तरह का विशेष अभियान में शिथिलता हो गई है, जिसे तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि अवैध खनन के कारण न केवल सरकारी राजस्व की भारी क्षति होती है अपितु प्राकृतिक संसाधनों का भी अनैतिक दोहन होता है। अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु यह आवश्यक है कि सभी जिलों में इसे रोकने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए तथा जिलास्तर पर जिला पदाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स जिसमें जिलों के पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) एवं जिला खनन पदाधिकारी, खान निरीक्षक सदस्य होते हैं। इनकी नियमित रूप से बैठक की जाए तथा इससे संबंधित चेक लिस्ट भी खान एवं भूतत्व को प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाए।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि निम्नलिखित कार्रवाई तुरंत की जाए :–

1. अवैध खननकर्त्ता तथा परिवहनकर्त्ता के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21, बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 के नियम–40 तथा बिहार राज्य (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2013 के नियम–6 एवं 8 में निहित प्रावधानों के तहत जुर्माना का निर्धारण करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

2. अवैध उत्खनन से प्राप्त खनिज पदार्थों के परिवहन तथा ओवर लोडिंग की रोक–थाम में परिवहन विभाग की अहम भूमिका के मद्देनजर जिला परिवहन पदाधिकारी मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियान चलाकर जुर्माना करने का निर्देश दिया जाए।
3. पुलिस अधीक्षक की Monthly Crime Review Meeting में अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग के विरूद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की जाए।
4. अनुरोध है कि अपनी निगरानी में प्रत्येक माह में कम से कम दो बार औचक निरीक्षण एवं कार्रवाई हेतु विशेष दल का गठन करें, जिसमें जिला के वरीय पदाधिकारी (अपर समाहर्त्ता स्तर) एवं आरक्षी उपाधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक के साथ जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय के पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में शस्त्र बल, लाठी बल सहित प्रतिनियुक्त हो।
5. ओवरलोडिंग के कारण राज्य की तमाम सड़कों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो रही है, इसलिए अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग की रोक–थाम हेतु अस्थायी चेकपोस्ट भी लगाया जाए।
6. जिला स्तरीय टास्क फोर्स को क्रियाशील एवं सक्रिय बनाने हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी में समन्वयित निर्धारित करते हुए जिला स्तरीय टास्क फोर्स की नियमित बैठकें किये जाने एवं क्षेत्र में अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों/समूहों के विरूद्ध संदर्भित नियमों एवं प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई भी अपेक्षित है।
7. इसी क्रम में जिला टास्क फोर्स के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित चेक लिस्ट पत्र के साथ आवश्यक कार्यार्थ संलग्न की जा रही है। अतः चेक लिस्ट में वर्णित बिन्दुओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए तत्संबंधी मासिक प्रतिवेदन विभाग को समय उपलब्ध कराया जाए।
8. Bihar Minor Mineral Concession Rules, 1972 के नियम 21 (3) f के तहत खनन क्षेत्र के निकास रास्ते पर धर्मकाँटे की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी को करनी है। धर्मकाँटा को स्थापित करने से भी अवैध खनन पर रोकथाम संभव होगा। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–3858/एम0, दिनांक–29.09.2018 द्वारा विभागीय निदेश सभी समाहर्त्ता को संसूचित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर अभियान चलाने की त्वरित कार्रवाई अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय तथा

नियमित रूप से टास्क फोर्स की बैठक की जाय तथा कार्यवाही प्रतिवेदन विभाग को ससमय भेजने का कष्ट किया जाय।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/—
प्रधान सचिव

ज्ञापांक—4357/एम0, पटना, दिनांक—29/11/18

प्रतिलिपिः— सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/11/18
सरकार के अवर सचिव

जिला टास्क फोर्स द्वारा की गयी कार्रवाई के प्रतिवेदन का चेक लिस्ट

जिला का नाम:-..... प्रतिवेदित माह-..... वर्ष-.....

1.	जिला टास्क फोर्स की बैठक	1. गत बैठक की तिथि:- 2. लिये गये निर्णय का अनुपालन:- 3. प्रस्तावित अगामी बैठक:- 4. बैठक में पुलिस, परिवहन वन एवं खनन विभाग की उपस्थिति एवं सक्रियता:-	
2.	अवैध खनन की रोकथाम के लिए की गयी कार्रवाई	1. छापामारी की संख्या :- 2. जप्त वाहनों की संख्या :- 3. दर्ज प्राथमिकी की संख्या :- 4. वसूला गया दंड/पेनाल्टी राशि :- 5. बिना खनिज परिवहन चालान के पाये गये मामले :- 6. ओभर लोडिंग के पाये गये मामले :- 7. गैर निबंधित तथा अनफिट वाहनों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई :-	
3.	खनन क्षेत्र की जाँच	1. जाँच वाले उत्खनन क्षेत्र का नाम :- 2. लोडिंग एवं डिस्पैच Point पर की गयी जाँच :- 3. पट्टा क्षेत्र में उत्खनन् की शर्तो आदि के उल्लंघन के मामले :- 4. पट्टा क्षेत्र में सूचना पट एवं सीमांकन आदि की स्थिति एवं प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन की स्थिति :-	
4.	अवैध खनन को कारगर बनाने हेतु	1. दंडात्मक प्रावधानों को और कारगर बनाने का सुझाव :- 2. आरोपों वाली धाराओं को गैर जमानती बनाने हेतु सुझाव :- 3. खनन पट्टा में लेसी द्वारा उत्खनन किया जा रहा है या सबलेटिंग की गयी है:-	
5.	ईट भट्टा की जाँच	1. संचालित ईट भट्ठों की संख्या:- 2. खनन कार्यालय में जमा रॉयल्टी वाले	

		भट्ठों की संख्या:- 3. BSPCB से प्राप्त NOC:- 4. SEIAA से प्राप्त अनापति प्रमाण:- 5. प्रतिवेदित माह में कितने ईंट-भट्ठों की जाँच की गयी:-	
6.	बालू बंदोबस्ती क्षेत्र की जाँच	1. प्रतिबंधित क्षेत्रों में बालू उत्खनन नहीं होने संबंधी जाँच :- 2. बालू लदे वाहनों के ओभरलोडिंग की जाँच:-	